मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना

राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड

गाँधी ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर – 302005 (राज.)

फोन नः 0141-2228066 , 2228064 फैक्स नं 0141-2228065 वेबसाईट : www.rmsc.health.rajasthan.gov.in

सीआईएन. :U24232RJ2011SGC035067 ई–मेल :: rmsc@nic.in

क्रमांक : प.05(पीएफ)/आरएमएससी/क्यू.सी./2025-26/2473 दिनांक : 16/01/2026

आदेश

फर्म मैसर्स M/s Maxmed Life Sciences Pvt Ltd.B-10, Basement, Shankar Garden, Vikaspuri, New Delhi-11008 से निविदा क्रमांक F.02(353)/RMSCL/PROCUREMENT/ DRUG /NIB-10/2022/1236 दिनांक 30.04.2022 के तहत् औषधि Cefpodoxime Proxetil Oral Suspension 100 mg Syrup I.P. Each 5 ML Contain Cefpodoxime Proxetil Oral Suspension 100 mg Syrup I.P. [NRD-485] की आपूर्ति हेतु दर अनुबन्ध किया गया था। दर अनुबन्ध के आधार पर फर्म को उक्त औषधि सप्लाई करने हेतु क्रय आदेश क्रमांक 1511 दिनांक 30.05.2024 व 6118 दिनांक 30.11.2023 जारी किये गये थे।

उक्त क्रय आदेश की पालना में औषधि के बैच संख्या 23CS073 एवं 24CS108 को राजकीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला को प्रेषित किया गया। राजकीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला जाँच कराये जाने पर औषधि के बैच संख्या 23CS073 एवं 24CS108 गुणवत्ता (Discription) में अमानक कोटि का पाया गया जो कि Not of Standard Quality (Minor defects) की श्रेणी में हैं।

राजकीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला से औषधि के बैच संख्या 23CS073 एवं 24CS108 अमानक कोटि की रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण को अनुशासनात्मक समिति की बैठक दिनांक 23.12.2025 में रखा गया। फर्म को दिनांक 16.12.2025 को नोटिस जारी कर सुनवाई के लिये अवसर दिया गया। फर्म की और उपस्थित प्रतिनिधि को सुना गया। फर्म की और से उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा कोई नया तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

राजकीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा उक्त औषधि के उक्त बैच को Not of Standard Quality (Minor defects) की श्रेणी में अमानक कोटि का घोषित किया गया है। फर्म द्वारा अमानक कोटि की औषधि आपूर्ति की गई है जो कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के प्रावधानों एवं राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम की विवर्जन संबंधी गाइडलाइन के क्लॉज 4.5(2) के तहत Not of Standard Quality (Minor defects) की श्रेणी में हैं।

निविदा की शर्त संख्या 16(2) Quality Testing /19(3) Quality Control Deduction and Other Penalties के अनुसार निविदादाता द्वारा आपूर्ति की गई औषधि के सैम्पल गुणवत्ता मानकों अनुसार नहीं पाये जाने पर विवर्जन संबंधी दिशा–निर्देशो (Guidelines for Blacklisting/Debarring) के सम्बन्ध में जारी निर्देश क्रमांक F.5/RMSC/QC/Test/2018-19/952 दिनांक 28/08/2018 के क्लॉज 4.5(2) के अनुसार कार्यवाई किये जाने का प्रावधान है। विवर्जन संबंधी दिशा–निर्देशों के क्लॉज संख्या 4.5(2) निम्नानुसार है:–

4.5 (2)- If two batches of particular item supplied during contract period fail in any of the quality tests conducted by the tender inviting authority and /or by the Drugs Control Department, then that

RajKaj Ref No.: 19953815
eSign 1.0

Signature valid
Digitally signed by Pukhraj Sen
Designation: Managing Director
Date: 2026.01.16 1?:18:28 IST
Reason: Approved

particular product of that firm will be blacklisted for a period up to 3 years but not less than 06 months in any case.

अतः निविदा की शर्त संख्या 16(2) Quality Testing /19(3) Quality Control Deduction and Other Penalties के उल्लंघन के दोषी होने के कारण विवर्जन संबंधी दिशा निर्देशों (Guidelines for Blacklisting/Debarring) के सम्बन्ध में जारी निर्देश क्रमांक F.5/RMSC/QC/Test/2018-19/952 दिनांक 28/08/2018 के क्लॉज 4.5(2) के तहत निगम की अनुशासनात्मक समिति की बैठक दिनांक 23.12.2025 की अनुशंषा के आधार पर निर्माता फर्म मैसर्स Maxmed Life Sciences Pvt Ltd.B-10, Basement, Shankar Garden, Vikaspuri, New Delhi-11008 की औषधि Cefpodoxime Proxetil Oral Suspension 100 mg Syrup I.P. Each 5 ML Contain Cefpodoxime Proxetil Oral Suspension 100 mg Syrup I.P. [NRD-485] के लिये यह आदेश जारी करने की तिथि से 18 माह के लिए विवर्जित (Debar) किया जाता है एवं फर्म को उक्त बैच वापस (Return) लिये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।

इस आदेश का पूर्व में जारी किये गये क्रयादेश/क्रय की गई अथवा प्रतिस्थापित (Replacement) प्रश्नगत औषधि, जो गुणवत्ता के मानकों के अनुरूप पाई गई हो, पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।

(पुखराज सैन)
आई.ए.एस
प्रबन्ध निदेशक

क्रमांक : प.05(पीएफ)/आरएमएससी/क्यू.सी./2025-26/2473 दिनांक : 16/01/2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सहायक, मिशन निदेशक,एन.एच.एम. राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सहायक, आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियत्रंण, निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, आर.एम.एस.सी.।
6. निजी सहायक, निदेशक,पी.एच/आर.सी.एच./एच.ए/ए.आई.डी.एस./एम.एस.यू. चिकित्सा एवं स्वा. निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सहायक, औषधि महानियंत्रक, भारत, नई दिल्ली।
8. निजी सहायक, औषधि नियंत्रक, राजस्थान/ नई दिल्ली।
9. विशेषाधिकारी, आर.एम.एस.सी.।
10. कार्यकारी निदेशक (प्रोक्योरमेन्ट)/वित्त/एल/ई.पी.एम एवं उप.नि. (आई.टी) आर.एम.एस.सी.।

Signature valid
Digitally signed by Pukhraj Sen
Designation: Managing Director
Date: 2026.01.16 12:18:28 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
19953815
eSign 1.0

11. समस्त प्रभारी अधिकारी, जिला औषधि भण्डार, राजस्थान को भेजकर लेख है कि उक्त बैच के समस्त स्टॉक को फर्म को लौटाया जाना (Return) सुनिश्चित करें।
12. M/s Maxmed Life Sciences Pvt Ltd.B-10, Basement, Shankar Garden, Vikaspuri, New Delhi-11008
13. आदेश पत्रावली।

प्रबन्ध निदेशक

RajKaj Ref No.:
19953815
eSign 1.0

Signature valid
Digitally signed by Pukhraj Sen
Designation: Managing Director
Date: 2026.01.16 12:18:28 IST
Reason: Approved